प्र.सं. 80/17 श्रीमती सज्जन कुंवर बनाम कुलदीपसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोल्यारी में साबिक आराजी नंबर 1383, 1384 रकबा 17 बिस्वा, 1385 रकबा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रतिवादी के खाते की आराजी नंबर 1409 रकबा 2½ बीघा जिसका परिवर्तित क्षेत्रफल 0.5400 हैक्टर होकर हाल आराजी नंबर 2596, 2631, 3320/2631, 3342/2629 किता 4 रकबा 0.6100 हैक्टर बने हैं, जिसमें 0.0700 हैक्टर रकबा अधिक है। इसी प्रकार वादी की साबिक आराजी नंबर 1385 रकबा 16 बिस्वा परिवर्तित रकबा 0.1728 हैक्टर होकर हाल आराजी नंबर 2597 रकबा 0.2000 हैक्टर बना है। वादी के साबिक आराजी नंबर 1385 वादी स्वयं के खाते की आराजी नंबर 1381 में शामिल हुआ है। रकबा 0.0125 अन्य व्यक्ति की आराजी नंबर 1408 में शामिल हुआ है। इस प्रकार कुल रकबा 0.0375 वृद्धि होकर कुल रकबा 0.2103 होना चाहिए, जिसके मुकाबले 0.2000 हैक्टर ही अंकित हुआ है। इस प्रकार 0.0.103 रकबा कम अंकित किया गया है, जिसकी पूर्ति की जानी आवश्यक है। इस प्रकार वादी का रकबा प्रतिवादी के खाते में 0.0336 व 0.0103 हैक्टर कुल 0.0439 हैक्टर कम हुआ है, जो प्रतिवादी के रकबे से कम होकर वादी के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित है। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 से 4 में उल्लेखित भूमि के विवरण अनुसार प्रतिवादी की हाल आराजी नंबर 2596 में वादी का 0.0389 व आराजी नंबर 3320/2631 में 0.0050 कुल रकबा 0.0439 हैक्टर का वादी का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा क्रमशः वादी के आराजी नंबर 2597 में 0.0103 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2594 में 0.0050 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2594 में 0.0050 हैक्टर व आराजी नंबर 2595 में 0.0286 हैक्टर में जोड़े जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2017 से वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.06.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाबता मियाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:54 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु स्टाफ के कैम्प में व्यस्त होने के कारण नकल दिनांक 08.06.2017 को प्राप्त हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट के खाते अपीलान्ट का रकबा 0.0336 व 0.0103 हैक्टर कुल 0.0439 हैक्टर रकबा दर्ज हो गया है जो रेस्पोन्डेन्ट के खाते से कम किया जाकर अपीलान्ट के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। सेटलमेन्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शे से अपीलान्ट का कमी रकबा रेस्पोन्डेन्ट में खाते दर्ज हो जाना स्पष्ट है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट अनुसार सही निर्णय किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि सेटलमेन्ट द्वारा तैयार रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में साबिक व हाल नम्बरों में जो फर्क आया है उसे लाल रंग से दर्शा रखा है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खाते में रकबा कम दर्ज हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि तनकीवार विवेचन किया है, किन्तु साक्ष्यों का सही विवेचन किया जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्र.सं. 45/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:54 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर